...्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...–पत्र संख्या :–57 / 2008 दायर दिनांकः 20.06.2008

...MS NO:- 2008/00030

...ठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. कमला बाई पत्नी गिरिराज जाति ब्राहमण निवासी गाडीखाना तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–वादिनी

बनाम

1. औंकार पुत्र माधव जाति धाकड निवासी भावपुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
1/1. सुरजा बाई पत्नी औंकार जाति धाकड निवासी भावपुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
1/2. हरिशंकर पुत्र औंकार जाति धाकड निवासी भावपुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
1/3. हरगोविन्द पुत्र औंकार जाति धाकड निवासी भावपुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
1/4. राधाकिशन पुत्र औंकार जाति धाकड निवासी भावपुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. राधाकिशन पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी भावपुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. वादी के अभिभाषक श्री भारत भूषण गौत्तम।
2. प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री सीताराम धाकड।

निर्णय दिनांक 12.04.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवॉ पटवार हल्का नैनवॉ प्रथम तहसील नैंनवां के जमाबंदी सं. 23 सम्वत् 2060 से 2063 तक की खसरा सं. 450 रकबा 03–11 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादिया ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2006 को पूर्व खातेदारान अहमद अली, ऐजाज अहमद, निसार अली पिस0 छुट्टन अली, शायरा बानो पत्नी छुट्टन अली, सेनाज पुत्री छुट्टन अली जाति मुसलमान निवासी नैनवां से खरीद कर कब्जा संभाल लिया था। तब से वादिया वाद पत्र में वर्णित भूमि का उपयोग व उपभोग बहैसियत खातेदार शांति पूर्ण तरीके से करती चली आ रही है। वादिया के जमीन खरीदने से पहले उक्त भूमि पर पूर्व खातेदारान इस भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2006 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3187 दिनांक 14.12.2006 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के कैफियत के कॉलम में वादिया का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज हो चुका है। यह कि प्रतिवादीगण की भूमियां वादिया की भूमि के पश्चिम में स्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई अधिकार व आधिपत्य कभी नहीं रहा और न है। किन्तु प्रतिवादीगण ताकत के बल पर तथा बदनियती पूर्वक वादिया की कृषि भूमि में उत्तरी ओर की करीब 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि को जबरन हडपना चाहते है। यह वाद का कारण है। अतः वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करवाये कि वे वादिया के अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि पर जबरन वादिया को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे अैर किसी प्रकार का हस्तक्षेप वादिया के उपयोग व उपभोग में न तो स्वयं करे और न ऐसा किसी अन्य से करवाये। वादिनी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी नकल परिशिष्ट–1, नकल नक्शा ट्रेस परिशिष्ट–2, नकल जमाबंदी परिशिष्ट–3, शपथ पत्र ... आदि पेश किये।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को त... गया। वाद के सम्बंध में प्रतिवादी दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित खसरा संख्या ... ...लिका से निर्धारित सीमा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.06.01 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

स्थित हैं। जिसको अवैध व अनाधिकृत रूप से पूर्व खातेदारान छुट्टन तहसील में सहणा होने के कारण अवैध रूप से अपने खाते लगवा ली तथा अवैध तरमीम करवा ली जो प्रविष्ठी अवैध व अनाधिकृत है। अवैध प्रविष्ठि प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। जिससे वादीया , छुट्टन व उसके वारिसों को कोई हक व आधिपत्य प्राप्त नहीं होते है । प्रतिवादीगण को इस अवैध प्रविष्ठि का पता वाद प्रस्तुत करने के बाद ही हुआ है। अवैध प्रविष्ठि की आड में वादिया ने बदयान्ति पूर्वक कब्जा करने की नियत से वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज हाने योग्य है। यह कि भूमि खसरा सं. 451, 449 के समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने तथा सीमा सम्बंधी वाद प्रस्तुत नहीं होने के कारण वाद खारित योग्य है। यह कि वादिया का कब्जा नहीं होने के कारण वाद खारित योग्य है।

वादिया कमला पत्नी गिरिराज, पोत्र बृजसुन्दर शर्मा तथा बृजन्द्र कुमार शर्मा के शपथ पत्र बयान दर्ज किये गये है। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करवाये कि वे वादिया के अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि पर जबरन वादिया को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे अैर किसी प्रकार का हस्तक्षेप वादिया के उपयोग व उपभोग में न तो स्वयं करे और न ऐसा किसी अन्य से करवाये।

प्रतिवादीगण औंकार व राधाकिशन के शपथ पत्र बयान दर्ज कर निवेदन किया कि विवादित खसरा संख्या 450 नैनवां नगर पालिका से निर्धारित सीमा के अन्दर स्थित हैं। जिसको अवैध व अनाधिकृत रूप से पूर्व खातेदारान छुट्टन तहसील में सहणा होने के कारण अवैध रूप से अपने खाते लगवा ली तथा अवैध तरमीम करवा ली जो प्रविष्ठी अवैध व अनाधिकृत है। अवैध प्रविष्ठि प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभावी है। जिससे वादीया , छुट्टन व उसके वारिसों को कोई हक व आधिपत्य प्राप्त नहीं होते है । प्रतिवादीगण को इस अवैध प्रविष्ठि का पता वाद प्रस्तुत करने के बाद ही हुआ है। अवैध प्रविष्ठि की आड में वादिया ने बदयान्ति पूर्वक कब्जा करने की नियत से वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज हाने योग्य है।

प्रतिवादीगण की ओर से हेमराज, घासी व कैलाश के शपथ पत्र बयान दर्ज कर निवेदन किया कि ग्राम भावपुरा के पास नैनवां प्रथम क भूमि खसरा सं. 450 में नैनवा से भावपुरा जाने वाली प्रधानमंत्री सडक निकल गई जिसमें रोड में आ गई। मैने जब से सुरत संभाली तब से उक्त भूमि पर कब्जा किसी का नहीं था पडत पडी हुई थी खसरा सं. 449 व 451 के खातेदार हेमराज, खाना, मु0 सुखी, बदाम हिस्सा 1/4, औंकार हिस्सा 1/4 व सुवा वल्द देव्या हिस्सा 1/2 तथा जगदीश, सोराज पि0 जगन्नाथ अपनी भूमि या गांव के आने जाने का रास्ता खसरा सं. 450 में होकर आता है खसरा सं. 449 व 451 का रास्ता 450 के अलावा ओर कोई नही है।

वाद–पत्र का अवलोकन किया, वाद पत्र, शपथ–पत्र बयान वादी व प्रतिवादी एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज का अवलोकन किया। बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम नैनवॉ पटवार हल्का नैनवॉ प्रथम तहसील नैनवां के जमाबंदी सं. 23 सम्वत् 2060 से 2063 तक की खसरा सं. 450 रकबा 03–11 बीघा कृषि भूमि पर से प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादिया को उक्त भूमि पर से बेदखल कर कब्जा नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द नष्ट भ्रष्ट नही करे, वादिया को फसल बोने व काटने में हस्तक्षेप नहीं करे, वादिया के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही ऐसा किसी अन्य करवाये। डिक्री पर्चा जारी किया जावे। निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.06.01 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner